

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन  
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

65 मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री	नारायण त्रिपाठी	(नाम)
	गृह संख्या 91 ग्राम लटागांव तहसील मैहर	(पता)
	जिला सतना 4090	
	जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं। उस सदन में श्री नारायण त्रिपाठी के त्याग पत्र के कारण रिक्ति को भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।	

स्थान सतना  
तारीख 16.02.2016

(सुरेश अग्रवाल)  
रिटर्निंग आफिसर  
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 65 मैहर  
जिला-सतना (4090)

जो समुचित न हो उसे काट दीजिए.